निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 92 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, चंपावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, चंपावत के माह 09/2016 से 07/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी के श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 22/02/2018 से 05/03/2018 तक.....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सन्हा एवं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 05/09/2015 से 19/09/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 12/2014 से 08/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखो की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः सेतु/ मार्ग/ भवन निर्माण (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओ सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाए) टनकपुर , चंपावत

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष		प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य	बचत
	स्थापना `	गैर स्थापना `	मुख्य लेखाशीर्षक	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15		- - - 821.20	2059 3054 5054 8443	60672714.00	60672714.00	- 237.80 2507.91 959.93	- 237.78 2508.00 1069.91	-0.09	0.02 711.22
2015-16		- - - 711.22	2059 3054 5054 8443	60491971.00	60491971.00	- 200.78 2370.94 637.50	- 200.85 2369.46 912.92	-0.07 - -	-0.07 1.48 435.80
2016-17		- - - 435.80	2059 3054 5054 8443	60819346.00	60819346.00	- 227.90 3313.18 462.76	- 227.92 3313.17 527.65	- -0.02	- 0.01 370.91
2017-18 (. 2018 तक)		- - - 370.91	2059 3054 5054 8443	77211290.00	69652285.00	- 177.71 2283.79 555.50	- 135.37 2176.27 360.02		7559005.00 42.34 107.52 566.39

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2015-16 2016-17 2017-18 (1/2018)	शून्य				

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है

(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाये)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा मे अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, चंपावत (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाइयो की लेखापरीक्षा संपादित की गयी उन्हे अं कत कया जाये) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, चंपावत (जिस इकाई की लेखापरीक्षा संपादित की गयी उन्हे अं कत कया जाये) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। सूखीडांग मीनार मोटर मार्ग (जिन योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाये) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाये) के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से .... का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखे की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः रु - 949040.00/-

   भाग द् वतीयः 3477.00/-
6. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	1441257.00/-
(ख) सामग्री क्रय	शून्य
(ग) नगद परिशोधन	शून्य
(घ) निक्षेप	47479907.53/-
(ङ) भण्डार	2485739.00/-

भाग दो (अ)

शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1- वत्तीय स्वीकृति से 266.76 लाख अ धक व्यय के बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना।

As per clause-316 Financial Handbook Volume-VI :316- (1)

Original – For every work (excluding petty works and repairs) it is necessary to obtain in the first instance the concurrence of competent authority of the Administrative Department requiring a work. Formal acceptance of the proposal by that authority is termed "administrative approval" of the work and it is the duty of local officer of the department requiring a work to obtain the requisite approval to it. An approximate estimate and such preliminary plans as are necessary to elucidate and proposal should be obtained from the Public Works Department . The procedure prescribed in this rule will apply also to modifications of proposals originally approved if, by reason of such modifications, revised administrativeapproval becomes necessary, and to material deviations from the original
proposals, even though the cost of the same may be covered by saving on other items.

(2)Revised –When expenditure on a work exceeds, or is likely to exceed, the amount administratively approved for it by more
than 10 per cent, orwhere there are material deviations from the original proposals, even though the cost of the same may possible be covered by savings on other items,revised administrative approval must be obtained from the authority competent to approve the cost, as so enhanced.

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चंपावत में चंपावत-मंच-तामाली मोटर मार्ग (लंबाई 52.50 क॰मी॰) के BM/SDBC द्वारा सुधारीकरण हेतु रु 1914.18 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (फरवरी 2013) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही स्वीकृति प्रदान की गयी (दिसंबर 2013)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 07/SE दिनां कत 28.12.2013 एकल आधार पर रु 1836.86 लाख (अनुमानित दर से 9% अ धक पर) गठित की गयी (बीएम/एसडीबीसी का कार्य मात्र 47.00 कमी हेतु) जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की ति थ 27.12.2015 थी।

खंड के अ भलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2018) क खंड द्वारा एकल आधार पर अनुमानित लागत से 9 प्रतिशत अ धक लागत पर अनुबंध गठित करते हुये वर्तमान तक कुल धनरा श रु 2180.94 लाख व्यय (रु 266.76 लाख अ धक) के उपरांत भी मात्र 90 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण कए गए थे, जब क मुख्य अ भयंता ,लो॰

नि॰ व॰ के निरीक्षण प्रतिवेदन (05/2017) के अनुसार मार्ग पर 52.50 कमी लंबाई में कार्य के बीएम/एसडीबीसी प्र वधानित कार्य के सापेक्ष बीएम एवं एसडीबीसी के कार्य क्रमशः 48.500 कमी एवं 36 कमी में ही निष्पादित थे एवं उसके उपरांत कार्य बंद थे।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया क एकल नि वदा माननीय मुख्य मंत्री की समीक्षा बैठक में मार्ग की क्षत-वक्षत स्थिति को अतिशीघ्र ठीक कराने एवं त्रिस्तरीय पंचायात चुनाव के पहले कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश के कारण गठित की गयी जब क अ धक व्यय के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया क अत मुख्य अ भयंता द्वारा 15 प्रतिशत आ धक्य व्यय क स्वीकृति (रु 287.13 लाख एवं वधायक नि ध से रु 148.00 लाख की प्राप्त स्वीकृति (कुल रु 435.13 लाख) से व्यय वहाँ कया जाएगा जब क कार्य बंद होने के संबंध मे बताया गया क तत्समय वर्षा ऋतु होने एवं अ धक ठंढ होने के कारण अनुकूल मौसम न मलने से बीएम/एसडीबीसी का कार्य निष्पादित नहीं कया जा सका।
खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यों क उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली के वपरीत पुनः नि वदा आमंत्रित न कर एकल आधार पर अनुबंध गठित कए जाने से न केवल तुलनात्मक लागत से वं चत रहना पड़ा अ पतु इससे मार्ग की पूर्ण लंबाई में बीएम/एसडीबीसी के मदों में भी कमी की गयी । पुनः अ धक व्यय के संबंध में खंड का उत्तर तर्क संगत नहीं था क्यूं क मुख्य अ भयंता द्वारा रु 287.13 लाख के आ धक्य की स्वीकृति कार्य की सामाग्री एवं श्र मक की दरो में वृद् ध, कार्य को उक्त धनरा श के अंतर्गत पूर्ण करने एवं पुनरी क्षत आगणन न प्रे षत कए जाने की शर्तो के साथ दी गई थी, नियम वरुद्ध थी क्यूं क खंड द्वारा अ धक दर पर नि वदा आमंत्रित कए जाने के कारण न केवल मुख्य अ भयंता की स्वीकृति के बाद रु 148.00 लाख की स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई अ पतु रु 266.76 लाख आ धक्य व्यय के उपरांत भी रु 258.43 लाख के कार्य निष्पादित कराने अवशेष थे, जो इं गत करता है क प्राप्त धनरा श के अंतर्गत कार्य को पूर्ण करना संभव नहीं था।

अतः वत्तीय हस्तपुस्तिका वॉल्यूम -VI नियमावली के वपरीत वत्तीय स्वीकृति से रु 266.76 लाख अ धक व्यय के उपरांत भी कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- **II (**ब)

प्रस्तर- 2 : वत्तीय नियमावली के वपरीत कार्य प्रारम्भ कर अनुबं धत लागत से रु 349.60 लाख का अ धक व्यय

- -380, Lapse of sanction 380- The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded"

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चंपावत के पूर्णा गरि टनकपुर तहसील मे सुखी-ढाँग - ड़ाड़ा- मीनार मोटर मार्ग (लंबाई 51 कमी) के निर्माण हेतु रु 721.80 लाख की प्रसासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (फरवरी 2004) जिसको पुनः पुनरी क्षत करते हुये शासन द्वारा मार्ग लंबाई 30 कमी हेतु रु 807.50 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की गयी (06/2016) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही निम्न्वत प्रदान की गयी थी

चैनेज	धनरा शमाह
1.5 कमी (पार्ट-I)	26.84 लाख 08/2010
1.5 कमी (पार्ट-I)	20.53 लाख 07/2013
6.5 कमी (पार्ट-I)	171.50 लाख 03/2015
30.00 कमी(पार्ट-I)	502.93 लाख 01/2016
30.00 कमी (पार्ट-II)	807.50 लाख 06/2016
कुल योग	रु 1529.30 लाख

प्रथम 03 प्रा व धक स्वीकृति के सापेक्ष कमी 1.5 से कमी 6.5 कार्य के निष्पादन हेतु कुल 10 अनुबंध रु 149.07 लाख हेतु गठित कए गए जिसकी समाप्ति कुल रु 134.82 लाख के साथ की गयी थी जब क प्रा व धक स्वीकृति 4th (पार्ट-I) के सापेक्ष एक अनुबंध 12/एसई दिनां कत 08.03.2016 रु 485.24 लाख हेतु गठित की गई थी जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की ति थ 07.09.2017 थी। जिसके

खंड के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (फरवरी 2018) क वत्तीय नियमावली के वपरीत खंड द्वारा वत्तीय स्वीकृति के 06 वर्ष बाद Lapseof

sanction" के वपरीत कार्य प्रारम्भ कया गया अ पतु 06 वर्ष बाद कार्य प्रारम्भ करने के कारण रु 721.80 लाख क स्वीकृति में सर्फ Part-I के कार्य कराने जाने संभव थे। पुनः खंड द्वारा रु 807.50 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति (06/2016) के उपरांत खंड द्वारा Part-II के कार्य हेतु अलग से नि वदा जारी कर अनुबंध गठित कए बिना पूर्व में गठित अनुबंध 12/एसई/2016 जिसकी निर्धारित समाप्ती ति थ 07.09.2017 थी, के सापेक्ष ही variationएवं Extra items के रूप में कार्य का निष्पादन कराया जा रहा था। वर्तमान तक अंतिम भुगतान बिल (Xthrunning dt। 06.11.2017) के अनुसार उक्त अनुबंध के सापेक्ष कुल भुगतान रु 834.84 लाख के बाद भी कार्य अभी प्रगति पर था तथा ठेकेदार के साथ अतिरिक्त कार्य समाप्त करने की कोई ति थ का निर्धारण नहीं कया गया था, जिससे कार्य में वलंब हेतु अर्थदण्ड क गणना भी कया जाना संभव नहीं था।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया गया क वर्ष 2004 में प्राप्त स्वीकृति के कारण सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कया गया था तथा वनभू म की स्वीकृति वर्ष 2015 में प्राप्त होने के कारण कार्य वलंब से प्रारम्भ कया गया। पुनः पुनरी क्षत स्वीकृति के संबंध मे बताया गया क उक्त मार्ग को मोटर मार्ग से त्वरित जोड़ने हेतु एवं पृथक से नि वदा आमंत्रित कर अनुबंध पूर्व के अनुबंध की समाप्ति (माह 09/2017) के बाद ही गठित कया जा सकता था।

खंड का उत्तर स्वीकर्य नहीं है क्यूं क खंड द्वारा न केवल वत्तीय नियमावली Lapse of sanction" के वपरीत कार्य को प्रारम्भ कया गया अ पतु part-I के कार्यो के लए गठित अनुबंध (12/SE) के सापेक्ष ही part-II के कार्य निष्पादित करा कर रु 349.60 लाख (रु 834.84 लाख - रु 485.24 लाख) का अ धक भुगतान कया गया, का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3 : **77,46,990/=** की धनरा श का अनु चत **(Unjustified)** व्यय !

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चम्पावत में रीठा – मीनारमोटर मार्ग के अवशेष कार्य हेतु वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रु 513.89 लाख की (7/2013) एवं इतनी ही धनरा श की प्रा व धक स्वीकृति भी प्राप्त थी (12/2013)!

कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क कार्य निष्पादन हेतु नि वदा धनरा श रु 4,98,92,398/= के सापेक्ष L1 के आधार पर ठेकेदार दिलीप संह अ धकारी के साथ अधीक्षण अ भयेन्ता द्वारा रु 4,13,75,766/= का अनुबंध , अनुबंध संख्या 9/SE-III दिनाक 01/01/02014 को गठित कया गया था ! खण्ड द्वारा ठेकेदार को Vth & Final bill (Vr॰ No॰ 28C दिनाक 18/02/2015) द्वारा रु 22,71,464/= का भुगतान करते हुये कुल (Upto date) रु 4,82,14,723/= की धनरा श का भुगतान कया गया यान्यी अनुबं धत धनरा श से (रु 4,82,14,723 - रु 4,13,75,766)= रु 68,38,957/= अ धक ! अनुबन्धित धनरा श से अ धक भुगतान करने का कारण खण्ड द्वारा Extra item एवं Bill of Quantity (BOQ) से अ धक मात्रा में कार्य कराना था ! खण्ड द्वारा 20% से अ धक मात्रा में कराये गये कार्य से संबन्धित रु 48,58,598/= की धनरा श का वचलन(Variation) एवं Extra items के रूप में कया गया व्यय रु 28,88,392/= की धनरा श अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत कराया गया था ! अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा स्वयं ही अनुबन्ध गठित कये जाने के कारण वचलन (Variation) एवं Extra items उच्च अ धकारी (Next Higher Authority) द्वारा स्वीकृत कराया जाना था !

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त की और इं गत करने पर खण्ड द्वारा बतलाया गया क 20% से अ धक की घटा-बढ़ी (variation) की स्वीकृति का वत्तीय अ धकार अधीक्षण अ भयन्ता को है और Extra items के व्यय की स्वीकृति के संबन्धित में बतलाया क उत्तराखण्ड वत्तीय अ धकारों का प्रतिनिधायन 2010 के अ भयंत्रण वभागों के निर्माण कार्य संबंधी प्रतिनिधायन के ववरण पत्र V के बिन्दू संख्या 06 में अधीक्षण अ भयन्ता को अतिरिक्त कार्य हेतु पूर्ण अ धकार प्रदान कया गया है! जिसके अनुसार ही Extra item की स्वीकृति प्राप्त की गयी !

लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नही था कयों क उत्तराखण्ड वत्तीय अ धकारों का प्रतिनिधायन 2010 के बाद सरकार द्वारा GPW-9 (01/2014) जारी कया गया है जिस के अनुसार वचलन (VARIATION) एवं Extra items की स्वीकृति उच्च अ धकारी (Next Higher Authority) द्वारा कराने का प्रावधान है ! इस प्रकार खण्ड द्वारा GPW-9 के प्रावधानों का पालन न करते हुये (रु 48,58,598/= + रु 28,88,392/=) कुल रु 77,46,990/= की धनरा श का अनु चत (Unjustified) व्यय कार्य पर भारित कया गया है !

अतः खण्ड द्वारा GPW-9 के प्रावधानों का पालन न करते हुये यन्यी सक्षम अ धकारी (Next Higher Authority) की स्वीकृति प्राप्त कये बिना ही रु 77,46,990/= की धनरा श का अनु चत व्यय कार्य पर भारित कये जाने के प्रकरण को उच्च अ धकार्यों के संज्ञान में लाया जाता है !

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
25/2004-05	-	2
35/2005-06	-	1,2,3
19/2007-08	01	0
41/2009-10	1,2,3	01
24/2012-13	1,3	01
76/2014-15	1,2	1,2,4
66/2016-17	1,2	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने बताया क पुनः प्रस्तरों को अद्यतन कर सक्षम अ धकारी की संतुति के उपरांत कार्यालय महालेखाकर को प्रे षत कया जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, चंपावत तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री दामोदर भट्ट	अ धशासी अ भयंता	16/06/2016 से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री ओमप्रकाश संह 30/07/2014 से 19/06/2017 तक

(ii) श्री अर वंद कुमार 20/06/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, चंपावत को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
आ र्थक खण्ड-II